मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 5/11/12

कमांक/1751/825/2012/38–2 उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 1629/2007/38–2 दिनांक 23.10.2007 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुक्ल पुस्तके प्रदाय करने हेतु स्नातक स्तर पर रूपये 600/– एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 800/– प्रति दो विद्यार्थियों के स्थान पर प्रति एक विद्यार्थी को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2/– राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 1500/– की पुस्तके एवं स्टेशनरी हेतु रूपये 500/– की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति इसी वर्ष से लागू होगी।

3/– उक्त स्वीकृति स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 11/10/12 में की गई अनुशंसा अनुसार जारी की जाती है।

4/– उक्त योजना के शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगीं।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

05/11/2012
(डॉ महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0कमांक 1752/825/2012/38–2 भोपाल, दिनांक 5/11/12

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. सलाहकार, राज्य योजना आयोग, म0प्र0 भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0।
9. कोषालय अधिकारी जिला भोपाल।
10. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05/11/2012
उप सचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग